



KANNAUJ POLICE



दिनांक: 04.दिसम्बर. 2025

थाना - तालग्राम

थाना तालग्राम व एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में गौ वध अभियोग में वांछित शातिर 03 अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार । कब्जे से 03 तमंचा 315 बोर , 04 खोखा कारतूस व 04 जिंदा कारतूस, 01 कंटेनर व 26 गौवंश बरामद।

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 04.12.2025 को समय करीब 4:45 बजे थाना तालग्राम पर UP112 के माध्यम से लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर कंटेनर में गौवंश लदे होने की सूचना मिली । तालग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो कंटेनर सं0 UP 21 BN 2803 से 26 अदद गौवंश को बरामद किया गया तथा मौके से नईम पुत्र रईस को गिरफ्तार कर थाना लाया गया एवं 04 अभियुक्त मौके से फरार हो गये । जिसके सम्बन्ध में थाना तालग्राम पर मु0अ0सं0 330/25 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम 01.नईम पुत्र रईस 02. अनस पुत्र नशीम 03. अहेतशान पुत्र मतीन 04. शमशेर पुत्र नवी 05.शहजाद पुत्र कलुआ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एस0ओ0जी0/सर्विलांस व थाना प्रभारी तालग्राम/छिबरामऊ/गुरसहायगंज की टीम लगायी गयी थीं । आज दिनांक 04.12.2025 को समय करीब 04 बजे मुखबिर की सूचना पर तेराजाकेट रोड पर मायापुर प्रतीक्षालय के पास पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु घेरावंदी की गयी, पुलिस से स्वयं को घिरता हुआ देखकर अभियुक्तगणों ने अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी जिसमें 01.अहेतशान पुत्र मतीन 02.शमशेर पुत्र नवी 03.शहजाद पुत्र कलुआ के पैरों में गोली लगी और अभियुक्तगण घायल हो गये जिन्हें सीएचसी तालग्राम भेजा गया । अभियुक्तगणों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर , 04 खोखा कारतूस व 04 जिंदा कारतूस बरामद किया गया उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना तालग्राम पर मु0अ0सं0 331/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. अहेतशान पुत्र मतीन निवासी मोहल्ला तकिया वाला गुलाबबाड़ी भोजपुरी जनपद मुरादाबाद उम्र 22 वर्ष ।
02. शमशेर पुत्र नवी निवासी मोहल्ला मनिहारन भोजपुर थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद उम्र 29 वर्ष ।
03. शहजाद पुत्र कलुआ निवासी मोहल्ला स्कूल नं 2 शाहजहाँपुर थाना किठौर जिला मेरठ उम्र 30 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

1. नईम पुत्र रईस निवासी छोटा काशीपुर गंज जनपद रामपुर –

01. मु0अ0सं0 19/2016 धारा 307 IPC थाना चन्दपा जनपद हाथरस

02. मु0अ0सं0 20/2016 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चन्दपा जनपद हाथरस
03. मु0अ0सं0 21/2016 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना चन्दपा जनपद हाथरस ।
04. मु0अ0सं0 330/25 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तालग्राम जनपद कन्नौज
05. मु0अ0सं0 331/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तालग्राम जनपद कन्नौज

02. मो0 शमशेर पुत्र नवी निवासी मोहल्ला मनिहारान भोजपुरी जनपद मुरादाबाद-

1. मु0अ0सं0 36/2020 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा ।
2. मु0अ0सं0 330/25 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तालग्राम जनपद कन्नौज
3. मु0अ0सं0 331/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तालग्राम जनपद कन्नौज

03. अहेतशान पुत्र मतीन निवासी मोहल्ला तकिया वाला गुलाबबाडी भोजपुरी जनपद मुरादाबाद उम्र 22 वर्ष -

1. मु0अ0सं0 330/25 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तालग्राम जनपद कन्नौज
2. मु0अ0सं0 331/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तालग्राम जनपद कन्नौज

04. शहजाद पुत्र कलुआ निवासी मोहल्ला स्कूल नं 2 शाहजहाँपुर थाना किठौर जिला मेरठ उम्र 30 वर्ष -

1. मु0अ0सं0 330/25 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तालग्राम जनपद कन्नौज
2. मु0अ0सं0 331/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तालग्राम जनपद कन्नौज

5. अनस पुत्र नशीम निवासी पद्मा वाला तालाब थान भोजपुर जनपद मुरादाबाद-

1. मु0अ0सं0 330/25 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तालग्राम जनपद कन्नौज
2. मु0अ0सं0 331/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तालग्राम जनपद कन्नौज

बरामदगी का विवरण:-

1. 26 गोवंश
2. एक कंटेनर
3. तीन अवैध तमंचा
4. चार जिंदा कारतूस
5. चार खोखा कारतूस

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम -

- 1.एस0ओ0जी0/ सर्विलांस टीम
- 2.थाना तालग्राम टीम
- 3.थाना गुरसहायगंज टीम
- 4.थाना छिबरामऊ टीम
- 5.थाना तिर्वा टीम
- 6.कोतवाली कन्नौज टीम

गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक कन्नौज द्वारा 20,000 रुपये का इनाम दिया गया

